


15/05/17 पत्रावली अख्त (जो अदालत) कोर्ट कम्प अदल  
सेवा के-के कागदर भादिया पर प्रस्तुत हुई।  
नदसीलदार केन्द्रभेदे द्वारा इस न्यायालय की  
अंतिम डिक्री दिनांक 06.06.2016 की पालना करिये  
नामान-सं. 222 दिनांक 15/05/17 से की जाकर  
अख्त नामान-सं. 222 का कारिवला लगाते हुये ग्राम  
प्याणा की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के खाना सं. 64 की  
नकल प्रस्तुत की है जिसमें अख्त अंतिम डिक्री अनुसार  
वादी का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में ~~चुकी~~ दर्ज  
किया जा चुका है। चूंकि इस न्यायालय की अख्त  
अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है अतः अब इस  
मामले में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है।

अतः पत्रावली जैसल कुमार होकर  
नम्बर से काम की जाकर कारिवला दर्ज होकर मूल  
दोष के साथ सलग्न हो।

निर्णय सुनाया गया।

  
15/05/2017  
सहायक कलेक्टर को  
अपवाद अधिकाारी  
केन्द्रभेदे